Order Sheet [Contd] Case No 246/2017 बी.ए

| | Case No 246/ | ∕ 2017 बा.ए |
|-----------------------------------|---|--|
| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| 10.07.2017 | आवेदक / अभियुक्त राजेश की ओर से श्री के0पी०राठौर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री वीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। पुलिस थाना मो जिला भिण्ड से अप०क० 151/17 धारा 363, 366, 376(1)डी भा.द.वि एवं धारा 5/5 पॉक्सो एक्ट की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। अवेदक / अभियुक्त दिलीपसिंह की ओर से श्री के0पी०राठौर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०को पेश कर निवेदन किया कि ओवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर मिथ्या अपराध कायम कर लिया है, जिससे कि आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक अपने घर में अकेला कमाने वाला सदस्य है। यदि अधिक समय तक निरोध में रहा तो उसके परिवार के सामने भूखों मरने की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शतों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित नियमित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। आरोपी लम्बे समय से अभिरक्षा में है। अनुसंधान में सहयोग करने का आश्वासन दिया है और इन्हीं आधारों पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर सहआरोपी रिंकू के साथ मिलकर वल पूर्वक 15 वर्षीय अभियोक्त्री उमा का अपरहण/व्याहरण कर जंगल में ले जाने तत्पश्चात् वल पूर्वक अहमदाबाद ले जाने और बलात्संग कारित करने का गंभीर आरोप है। प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है। अतः अपराध की गंभीरता उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाना है। आदेश की प्रति सहित केश डायरी सर्वित थाने को बापस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद | AT TO SERVICE STATE OF THE SER |
| | (3) | |